न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
199 / 2023

दायर दिनांक
05.06.2023

निर्णय दिनांक
16.01.2024

उनवान

1. श्री सुर्य प्रकाश पिता महावीर प्रसाद नाथानी निवासी ए.–103, ए.–104 नवकार ग्रीन, गांधीनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता भैरू जाट निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री हरलाल पिता भैरू जाट निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री भैरू पिता लालू नाई निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री शंकर पिता लालू नाई निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री रामरतन पिता कस्तुर नाई निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री बक्षा पिता श्रीराम गाडरी निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्रवण कुमार सैन
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भोली प0ह0 भोली भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074—2077 के खाता संख्या 563 की अभिलिखित आराजियात आराजी सख्या 1687 / 907 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, आ0नं0 908 रकबा 0.7587 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.9104 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एव विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अत प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी)

Ahad

कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमाकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमाकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा भोली प0ह0 भोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सवत 2074–2077 के खाता संख्या 563 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1687 / 907 रकबा 0.1517 हैक्टेयर आ0न0 908 रकबा 0.7587 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.9104 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति मे कब्जे मे बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एव मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस मे आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार मे भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ahad
16/1/24
(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा